न्यायालय अति. जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्री सत्यवीर यादव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या –20/2019

1. मथरी उर्फ मिश्री पुत्री रूडाराम
2. गैंदी पुत्री रूडाराम
3. गीता पुत्री रूडाराम
4. संज्या उर्फ सुरजी उर्फ रूडाराम
5. गोवर्धन पुत्र रूडाराम
6. बाबूलाल पुत्र रूडाराम

समस्त व्यस्कान समस्त जाति माली निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान)

–अपीलार्थी

बनाम

1. अरूण देव बिल्डर्स लिमिटेड जरिये ऑर्थराईज सिगनेचरी राजेश्वर शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा निवासी 612 देवली, नई दिल्ली।
2. तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)
3. उपपंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)

–प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 04.12.2018 ग्राम ढाणी गैसकान पटवार हल्का ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान) को शुन्य किये जाने बाबत

निर्णय दिनांक : 17.9.19

अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 04.12.2018 ग्राम ढाणी गैसकान पटवार हल्का ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर से व्यथित होकर जरिये वकील अपील पेश की। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम ढाणी गैसकान के रहने वाले है तथा अनपढ एवं मजदुरी पेशी व्यक्ति है। अपीलार्थी ने राजकार्य हेतु दिनांक 27.03.2019 को जमाबन्दी निकलवाई तो उनहे ज्ञात हुआ कि खाता संख्या 64 में नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 04.12.2018 को भरा गया जिसमें अपीलार्थी की जमीन का हिस्सा खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.35 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 वाके ग्राम ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम अपीलार्थी का हिस्सा 5/28 के स्थान पर 0385/152208 अर्थात 0.10.71 हिस्सा ज्यादा चढा दिया जबकि अपीलार्थी का हिस्सा 0.03.8 शेष रह गया। अपीलार्थी के पिता ने जब रजिस्ट्री करवाई थी। जिसमें अपीलार्थीगण के पिता ने उक्त खसरा नम्बर 285, 480 में अपने 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा यानि 0.3.33 भूमि का विक्रय किया था। उक्त दोनो नम्बर एन.एच. 08 से जुडे हुये है। बेशकिमती जमीन होने के कारण प्रत्यर्थी ने अपने नाम विक्रय से ज्यादा भूमि चढवा ली। जबकि प्रत्यर्थी 0.03.33 एक्टैयर भूमि पर ही काबिज है तथा शेष भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपने नाम अधिक भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रत्यर्थी उसे विक्रय करने पर आमादा हो रहा है। अतः निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 845 को शुन्य फरमाते हुये पुनः नामान्तकरण नये सिरे से खोले जाने के आदेश फरमावे।

। एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपस्थित होकर जबाब पेश कर कथन किया कि नामान्तकरण
45 दिनांक 04.12.2018 के अनुसार साबिक जमाबन्दी 2073 से 2076 में खाता संख्या
, 32 का नामान्तकरण दर्ज हुआ है। जमाबन्दी के खाता संख्या 123 में अरूण देव
लि. जरिये आथराईज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा नि 612
ई दिल्ली हिस्सा 20385/152208 शेष हिस्सा 6255/152208 एवं खाता संख्या 64 में
व बिल्डर्स लि. जरिये आथराईज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा
देवली नई दिल्ली हिस्सा 5/168 व खाता संख्या 32 में अरूण देव बिल्डर्स लि.
आथराईज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा नि 612 देवली नई
हिस्सा हिस्सा 1776/2718 दर हिस्सा 93/512 विक्रय से आई है। जमाबन्दी सम्वत
2076 खाता संख्या 64 में खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.35 किता 2 रकबा 0.80
मे सहवन से खाता संख्या 123 के हिस्से अरूण देव बिल्डर्स लि. जरिये आथराईज
ो राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा नि 612 देवली नई दिल्ली हिस्सा
152208 शेष हिस्सा 6255/152208 का नोट लाल स्याही से गलत अंकित हो गया।
नामान्तकरण संख्या 845 में खाता संख्या 64 में खसरा नम्बर 245/0.45, 480/0.35
देव बिल्डर्स लि. जरिये आथराईज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन
612 देवली नई दिल्ली हिस्सा 5/168 शेष हिस्सा 25/168 सही अंकन है।
तहसील आनलाईन का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ होने से सेग्रीगेशन जमाबन्दी 2076
संख्या 57 खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.35 किता 2 रकबा 0.80 हैक्टयर सहवन
बन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 64 में लाल स्याही से गलत अंकन से
क जमाबन्दी सम्वत 2076 खाता संख्या 57 में अरूण देव बिल्डर्स लि. जरिये
ज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा हिस्सा 2325/16912 जाति
ना. देवली नई दिल्ली क्र.स. 1 पर अंकित साबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की
ख्या 64 एवं स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 04.12.2018 के अनुसार हिस्सा
र होना है। सेग्रीगेशन जमाबन्दी में खाता संख्या 57 में क्र.स. 1 अरूण देव बिल्डर्स
ये आथराईज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन शर्मा 2325/16912 के
/168 एव क्र.स. 10 में फूली देवी पत्नि रूडाराम हिस्सा 139/16912 के बजाय
/168 क्र.स. 11 में मथरी पुत्री रूडाराम हिस्सा 139/16912 के बजाय हिस्सा
क्र.स. 12 में गैंदी पुत्री रूडाराम हिस्सा 139/16912 के बजाय हिस्सा 5/168, क्र.स.
ज्या पुत्री रूडाराम हिस्सा 139/16912 के बजाय हिस्सा 5/168 क्र.स. 14 में संज्या
राम हिस्सा 139/16912 के बजाय हिस्सा 5/168 शुद्धि के योग्य है। नामान्तकरण
बन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न है।

मने उभय पक्षो की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो
ाते हुये कथन किया कि खाता संख्या 64 में नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 04.12.
भरा गया जिसमें अपीलार्थी की जमीन का हिस्सा खसरा नम्बर 285/0.45, 480/0.
किता 2 कुल रकबा 0.80 वाके ग्राम ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर में प्रत्यर्थी
का हिस्सा 5/28 के स्थान पर 20385/152208 अर्थात 0.10.71 हिस्सा ज्यादा चढा
कि अपीलार्थी का हिस्सा 0.03.28 शेष रह गया। अपीलार्थी के पिता ने खसरा नम्बर
में अपने 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा यानि 0.3.33 भूमि का विक्रय किया था।
नो नम्बर एन.एच. 08 से जुडे हुये है। बेशकिमती जमीन होने के कारण प्रत्यर्थी ने
म विक्रय से ज्यादा भूमि चढवा ली। जबकि प्रत्यर्थी 0.03.33 हैक्टैयर भूमि पर ही
है तथा शेष भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपने
क भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रत्यर्थी उसे विक्रय करने पर
हो रहा है। अतः अपील स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

रोकार सरकार ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि
रेकॉर्ड में जो गलत अंकन किया हुआ है वह दुरूस्त किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र
के पिता ने खसरा नम्बर 245/0.45, 480/0.35 वाके मौजा ढाणी गैसकान तहसील

में अपने 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा यानि 0.3.33 भूमि का विक्रय प्रत्यथी संख्या
देव बिल्डर्स लि. जरिये आथराईज सिगनेचरी राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवनन्दन
612 देवली नई दिल्ली के हक में किया था।

मने उभय पक्षो की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत
त्र दिनांक 06.01.2011 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी के पिता रूडा पुत्र
खसरा नम्बर 285, 480 में अपना हिस्सा 1/4 में से 1/6 यानि 0.03.33 हैक्टैयर
बेचान किया है। जिसका अंकन नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 04.12.2018 को
या जो विक्रय से अधिक भूमि का अंकन दर्ज हो गया। पिता की मृत्यु के उपरान्त
द्वारा जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई तथा उसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा
श की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भी अपने जबाब में उक्त अशुद्ध अंकन का कथन
ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होती है।

तः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्ट कीअपील स्वीकार की जाकर
रण संख्या 845 दिनांक 04.12.2018 ग्राम ढाणी गैसकान पटवार हल्का ढाणी गैसकान
विराटनगर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित
कर आदेश दिया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2011 को दृष्टिगत रखते हुये
सम्मत निर्णय पारित करे।

ज दिनांक 17.9.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली(जयपुर)